(iv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31 मार्च, 2023 तक करके उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन के लम्बित देयकों का भुगतान करके शासन को भी अवगत करा दिया जाय तथा विद्युत भुगतान के सम्बन्ध में स्पष्ट अवधि का उल्लेख करते हुए बकाया सरचार्ज यदि कोई हो तो, कि स्थिति और उसकी अवधि के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध करायी जायेगी। यदि अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराने के बाद भी देयकों मे सरचार्ज सम्मिलित होता है, तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

(v) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सर्वप्रथम पिछली देयताओं का भुगतान किया जाय, जिससे विलम्ब अधिभार शूल्क की स्थिति उत्पन्न न हो।

(vi) 25– उपयोगिता बिलों के भुगतान में Global Budgeting की व्यवस्था लागू होने से उक्त मद का आंवटन विभागाध्यक्ष के द्वारा किया जायेगा एवं आहरण वितरण अधिकारियों के स्तर पर नहीं किया जायेगा।

4– उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक "2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–101–शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम–05–नगरीय पेयजल–04–विद्युत देयको का उत्तराखण्ड विद्युत निगम–भुगतान–25–उपयोगिता बिलों का भुगतान" के नामे डाला जायेगा

5– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 391/09(150)2019/ XXVII(1)/2022 दिनांक 24 जून, 2022 द्वारा में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।

पृ0सं0 538 (1)/उन्तीस(2)/2022–2(02पे0)/2001 तददिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमॉयू मण्डल।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए एवं रिकन्साईल्ड बिलों का भुगतान प्राप्त करने का कष्ट करे।
7. बजट निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
10. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

संयुक्त सचिव।

संख्या 538 /उन्तीस(2)/2022–2(02पे0)/2001

प्रेषक,

डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 29 जुलाई, 2022

विषयः– वित्तीय वर्ष 2022–23 में विद्युत देयकों के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 I/52804/2022 दिनांक 27 जुलाई, 2022 द्वारा उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड को पेयजल आपूर्ति के सत्यापित विद्युत देयकों के बीजकों के भुगतान हेतु ₹ 4681.33 लाख (₹ छियालीस करोड इक्यासी लाख तैंतीस हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2022–23 में पुस्तक समायोजन के माध्यम से अवमुक्त की गयी थी।

2– मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान के पत्र सं0 2929/वि0अनु0–विद्युत/2/शा0अनु0/2022–23 दिनांक 29 जुलाई, 2022 एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 के पत्र संख्या–551/प्र0नि0/उपकालि दिनांक 29 जुलाई, 2022 के द्वारा शासनादेश सं0 I/52804/2022 दिनांक 27 जुलाई, 2022 द्वारा अवमुक्त धनराशि ₹ 4681.33 लाख को पुस्तक समायोजन न कर IFMS के माध्यम से अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड जल संस्थान एवं उत्तराखण्ड पेयजल निगम के अनुरक्षणाधीन पम्पिंग पेयजल योजनाओं के पेयजल उत्पादन पर विद्युत व्यय मद में विभिन्न शाखाओं से प्राप्त माह जून, 2022 तक के अवशेष विद्युत देयक ₹ 4681.33 लाख (₹ छियालीस करोड इक्यासी लाख तैंतीस हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2022–23 में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(i) स्वीकृत की जा रही धनराशि मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरित बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) स्वीकृत धनराशि को तत्काल उत्तराखण्ड पॉवर कार्पोरेशन को उपलब्ध कराते हुए यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्युत देयको का मिलान एवं संयुक्त हस्ताक्षर दिनांक 31.03.2022 तक करा लिया जाय। तत्पश्चात् शासन को भी मिलान एवं संयुक्त सहमति की सूचना तत्काल भेज दी जाय। यदि कोई धनराशि अधिक भुगतान हो तब उसका समायोजन ठीक अगले माह के देयको से माह दर माह के आधार पर समायोजित किया जाय।

(iii) उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा उ0प0का0लि0 को देय विभिन्न पेयजल योजनाओं के सापेक्ष विद्युत बिलों की राशि भुगतान की जायेगी तथा उ0प0का0लि0 से रायल्टी के रूप में यू0जे0वी0एन0एल0 को भुगतान की जाने वाली अवशेष राशि व इसी क्रम में यू0जे0वी0एन0एल0 से उत्तराखण्ड शासन को जमा की जाने वाली रायल्टी की अवशेष धनराशि उसी मात्रा में भुगतान किया जाय।

.....2